कार्यालय प्रबन्धक रवीन्द्र मंच सोसायटी

रामनिवास बाग, जयपुर–302004

रवीन्द्र मंच परिसर में स्थित केन्टीन के संचालन कार्य हेतु बोली प्रपत्र

निविदा प्रपत्र मूल्यः 200 / – रू.

राजस्थान सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग
कार्यालय सचिव/प्रबन्धक,रवीन्द्र मंच सोसाईटी,
रामनिवास बाग, जयपुर–302004
(phone 0141-2619061 Email:ravindramanch@gmail.com)

रवीन्द्र मंच में केन्टीन संचालन हेतु बोली सूचना

रवीन्द्र मंच परिसर में स्थित ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन स्थल के संचालन का कार्य कराने के लिए बोली आंमत्रित की जाती है। यह कार्य एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना है जिसकी अनुमानित लागत 1.50 लाख रू. है। इच्छुक बोली दाता जो बोली की शर्तों में अंकित वांछित योग्यता पूर्ण करते हो, अपनी बोली निर्धारित बोली प्रपत्रों में बोली प्रतिभूति/बोली प्रतिभूिति के सम्बन्ध में शपथ पत्र एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि जमा कराकर दि. 24 सितम्बर 2021 मध्याह्न 12.30 बजे तक सील बन्द लिफाफों में रवीन्द्र मंच कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त बोलियां इसी दिन मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं बोली प्रपत्र आदि राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SPPP) पर एवं इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रबन्धक
रवीन्द्र मंच, जयपुर

राजस्थान सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग
कार्यालय सचिव/प्रबन्धक,रवीन्द्र मंच सोसाईटी,
रामनिवास बाग, जयपुर–302004
(phone 0141-2619061 Email:ravindramanch@gmail.com)

बोली प्रपत्र जमा कराने हेतु आवेदन पत्र
(प्रारूप)
(बोलीदाता अपने लेटरपेड पर प्रस्तुत करे)

प्रबन्धक,
रवीन्द्र मंच,
जयपुर।

विषयः– बोली प्रपत्र जमा कराने बाबत ।

महोदय,

मैं/हम निम्न घोषणा करते हैं कि :–

1. हमने रवीन्द्र मंच के **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन** संचालन के कार्य बोली से संबंधित प्रपत्रों की जांच कर ली है ।
2. रवीन्द्र मंच के **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन** संचालन के कार्य के लिए हमारी बोली स्वीकार हो जाती है तो हम नियमानुसार बोली की अमानता राशि आपके कार्यालय में जमा कराने को बाध्य होगें।
3. इस निविदा प्रक्रिया में हमारे द्वारा एक बोली के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में भाग नहीं लिया जा रहा है।
4. हमारी फर्म को राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
5. हमारे द्वारा रवीन्द्र मंच के **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन** संचालन के कार्य के **सम्बन्धित परिसर एवं स्थान का निरीक्षण** एवं अवलोकन कर समझ लिया है इसकी समस्त शर्ते हमें मान्य होगी।
6. हमारे द्वारा समझ लिया गया कि रवीन्द्र मंच के **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन** संचालन के कार्य की प्राप्त दर को स्वीकार करने हेतु रवीन्द्र मंच प्रशासन बाध्य नहीं है। साथ ही किसी भी बोली या उसके भाग को अस्वीकार कर सकता है।
7. हम घोषणा करते हैं कि इस निविदा के सम्बन्ध में आप द्वारा हमारे लेखों तथा रिकार्ड की जांच की जा सकती है।
8. हम घोषणा करते हैं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के शर्तो की पालना हमारे द्वारा की जायेगी।
9. हम स्वीकार करते हैं कि प्रबन्धक रवीन्द्र मंच द्वारा इस कार्य की प्रस्तुत शर्ते व अन्य जानकारियों की पालना हमारे द्वारा की जायेगी।
10. **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन** संचालन के बोली प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः–
    1. बोली प्रपत्र मय हस्ताक्षर व सील
    2. बैंकर चैक
       (अ) (I)बोली प्रतिभूति राशि रू. 10000/– बैंकर्स चैक क्रमांक————————दि.————
       अथवा
       (II) बोली प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.)विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार 50/–रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
       (ब) निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/– बैंकर्स चैक क्रमांक————————दि———
    3. पते के प्रमाण हेतु पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल, पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई दो की प्रमाणित छाया प्रतियां
    4. श्रम विभाग या सक्षम स्तर पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति
    5. पेन कार्ड की प्रति
    6. माल एवं सेवाकर (GST) के रजिस्ट्रेशन की प्रति
    7. फूड लाईसेन्स की छाया प्रति
    8. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां
    9. विगत 2 वित्तीय वर्षो के टर्न ओवर प्रतिवर्ष 5.00 लाख । उक्त वर्षो के लेखा विवरण एवं आयकर विवरणी की प्रति संलग्न
    10. वित्तीय बोली प्रपत्र मय हस्ताक्षर व सील

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील
नाम ....
पता ....
....

राजस्थान सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

कार्यालय सचिव/प्रबन्धक,रवीन्द्र मंच सोसाईटी,

रामनिवास बाग, जयपुर–302004
(phone 0141-2619061 Email:ravindramanch@gmail.com)

बोली प्रपत्र

क्र.स.	विवरण	
1.	कार्य का नाम	**रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन के कार्य**
2.	बोलीदाता का नाम	
3.	बोलीदाता का पूर्ण पता	
4.	बोली प्रपत्र शुल्क रू.200/– जमा का विवरण	
5.	बोली प्रतिभूति राशि रू.10000/– जमा का विवरण **अथवा** बोली प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1) वित्त/ जीएण्डटी –एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार 50/–रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र	
6.	श्रम विभाग या सक्षम स्तर पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति	
7.	माल एवं सेवाकर (GST) के रजिस्ट्रेशन की प्रति	
8.	पेन कार्ड की प्रति	
9.	अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां	
10.	विगत 2 वित्तीय वर्षो के टर्न ओवर प्रतिवर्ष रू. 5.00 लाख के लेखा विवरण एवं आयकर विवरणी की प्रति	
11.	**फूड लाईसेन्स का कमांक एवं छाया प्रति**	
12.	**वित्त (जी एण्ड टी) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.04.18 दिनांक 14.05.2018 एवं 03/2018 दिनांक 11.07.2018 में श्रमिको के भुगतान के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।**	
13.	अन्य कोई दस्तावेज	

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील
नाम ....
पता ....
....

घोषणा

मैने/हमने **रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन का कार्य** करने के लिए बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम रवीन्द्र मंच के **ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन का** संचालन का कार्य करने के लिए सहमत एवं वचनबद्व हूॅ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी निविदा की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व निविदा के नियम/शर्तों उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर बोलीदाता..
नाम/पता ....
....
टेलीफोन नं. ....
दिनांक ....

राजस्थान सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग
कार्यालय सचिव/प्रबन्धक,रवीन्द्र मंच सोसाईटी,
रामनिवास बाग, जयपुर–302004
(phone 0141-2619061 Email:ravindramanch@gmail.com)

रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन के कार्य हेतु वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मासिक दर (राशि रूपये अंकों में)	प्रस्तावित मासिक (राशि रूपये शब्दों में)
1.	रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन के कार्य की मासिक दर		

नोटः–

1. प्रस्तावित/अनुमोदित बोली राशि पर नियमानुसार GST/TCS राशि अलग से जमा करानी होगी ।
2. बिजली एवं पानी व्यय का निर्धारित भुगतान निविदा शर्तों के अनुसार पृथक से जमा कराना होगा।

रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के स्थल का अवलोकन कर लिया है। केन्टीन संचालन का कार्य करने के लिए बोली से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं बोली शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया हैं एवं सभी नियमों/शर्तों एवं प्रस्तुत दरों को मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

नाम ....

पता ————————————
————————————————
————————————————

फोन न.————————————

राजस्थान सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग
कार्यालय सचिव/प्रबन्धक,रवीन्द्र मंच सोसाईटी,
रामनिवास बाग, जयपुर–302004
(phone 0141-2619061 Email:ravindramanch@gmail.com)

रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन के कार्य के लिए बोली/निविदा के नियम एवं शर्तें

रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन को संचालित करने के लिए किराये पर देने के लिए अनुबन्ध पर दिया जाना है। इस केन्टीन संचालन का कार्य करने के लिए बोली की निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. इस कार्य की बोली की दरें कार्यालय रवीन्द्र मंच जयपुर द्वारा जारी निर्धारित बोली प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा/बोली लिफाफे में सीलबन्द कर " **रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के** संचालन के कार्य हेतु निविदा" लिख कर निर्धारित निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि एवं समय पर डालनी होगी।
3. **रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के** संचालन के कार्य करने की अवधि एक वर्ष होगी लेकिन प्रारम्भ में यह बोली **6 माह के लिए स्वीकृत** की जायेगी जिसको एक वर्ष तक के लिए आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि से पूर्व यदि फर्म अनुबन्ध समाप्त करती हैं तो कार्यालय को तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह की अनुबन्ध राशि मंच को जमा करानी होगी। इसके साथ ही यदि निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने, कार्य असंतोषप्रद/उचित व्यवस्था नहीं होने आदि पर उक्त समयावधि से पूर्व भी अनुबन्ध समाप्त करने का रवीन्द्र मंच प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।
4. **रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के** संचालन के कार्य हेतु **वित्तीय बोली में मासिक किराये** (Monthly Rate) **की दर अंकित करनी होगी।**
5. केन्टीन संचालन का कार्य करने की वित्तीय बोली में प्राप्त अधिकतम दरदाता की बोली पर विचार किया जायेगा एवं प्राप्त दर में वृद्धि करना उचित हुआ हो दर में वृद्धि करने के लिए अधिकतम दरदाता से नेगोशियसन किया जा सकता है।
6. **जिस निविदादाता की अधिकतम मासिक दरें अनुमोदित की जायेगी उस निविदादाता को एक वर्ष (12 माह) का किराया निम्न प्रकार से जमा कराना आवश्यक हैः–**
   i. **एक वर्ष की कुल देय राशि की 25 प्रतिशत राशि कार्यादेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर।**
   ii. **शेष 75 प्रतिशत राशि नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित से पूर्व।**
7. सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त प्रकार से राशि समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो बोली प्रतिभूति जब्त कर तो आदेश निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए रवीन्द्र मंच प्रशासन द्वारा अन्य ठेकेदार के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जा सकता है चाहे उसकी अमानत राशि लौटा दी गई हो और इस रीति से यदि रवीन्द्र मंच को किसी प्रकार की राजस्व की हानि होती है तो दोषी ठेकेदार से पी.डी. एक्ट के तहत् वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
8. यदि इस प्रकार की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय शुल्क, स्थानीय कर या व्यय आदि लागू होते हैं तो उसका भुगतान निविदादाता को अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा। बोलीदाता द्वारा उपरोक्त प्रकार के समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुये ही बोली की दर इस कार्यालय की निविदा में प्रस्तुत की जानी है। किसी भी प्रकार के व्ययों के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. <u>जिस निविदादाता की अधिकतम मासिक दर सक्षम स्तर पर अनुमोदित की जायेगी उस निविदादाता को बोली सम्पादन प्रतिभूति राशि के तौर पर कार्यादेश जारी होने के सात तीन के भीतर जमा कराकर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।</u>

10. बोली के लिफाफे के साथ बोलीदाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे :–

i. निविदा में अंकित पते के प्रमाण हेतु पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल, पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई दो की प्रमाणित छाया प्रतियां ।

ii. बोलीदाता/फर्म का विगत 2 वित्तीय वर्षो में टर्न ओवर प्रतिवर्ष 5.00 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को उक्त वर्षो के लेखा विवरण एवं आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करनी होगी।

iii. गत वर्षो में केन्टीन संचालन कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा। इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यादेश एवं कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे।

iv. सक्षम विभाग द्वारा जारी अधिकृत फूड लाइसेंस की प्रति भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

v. बोलीदाता के विरूद्व किसी भी राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम आदि का कोई अपराधिक मामला पुलिस में दर्ज न होने तथा न्यायालय में तत्सम्बन्धी कोई वाद विचाराधीन नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जो दो गवाह एवं नोटरी द्वारा सत्यापित हो प्रस्तुत करना होगा। यह तथ्य असत्य पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की कर निविदा निरस्त की जा सकती है।

vi. बोलीदाता द्वारा मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता द्वारा पूर्ण निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। प्रत्येक कॉट–छॉट पर अपने हस्ताक्षर करने होगे अन्यथा कॉट–छॉट मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा ,अहस्ताक्षरित/अपूर्ण रूप से भरी हुई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

vii. बोलीदाता को फर्म के श्रम विभाग या सक्षम स्तर पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करनी होगी।

viii. बोलीदाता को माल एवं सेवाकर (GST) के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।

ix. अमानत राशि / बोली प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त/ जीएण्डटी –एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार 50/–रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं निविदा शुल्क का डी.डी. संलग्न करना होगा।

x. बोलीदाता का पेन नम्बर एवं उसकी छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

11. बोलीदाता को बोली प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रूपये 10,000/– का डी.डी./बैकर चैक जो **सचिव, रवीन्द्र मंच सोसायटी,जयपुर** (Secretary, Ravindra Manch Society,Jaipur) के पक्ष में देय हो, अथवा बोली प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2(1) वित्त/ जीएण्डटी –एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार 50/–रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली प्रपत्र यदि ऑनलाईन प्राप्त किया जाता हैं तो रू. 200/– का डीडी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

12. बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपनी निविदा को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के तीन दिवस के भीतर बोली सम्पादन प्रतिभूति नियमानुसार जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

14. केन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, पासपोर्ट साईज फोटो सहित पहचान पत्र अनुबन्ध के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा उन पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।

15. असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि सफल बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं समस्त राशि प्रस्तुत/जमा करने के बाद लौटा दी जावेगी।

16. केन्टीन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का आचरण तथा व्यवहार विनम्र होना चाहिए एवं उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के लिये पूर्ण रूप से सफल बोलीदाता जिम्मेदार होगा। कार्य करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वैरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहनानी होगी तथा बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर पहचान पत्र बनवाकर उपलब्ध कराने होगे, जिसको हर समय पहनना अनिवार्य होगा।

17. संवेदक द्वारा नियोजित कर्मी का आचरण एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए और संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी पूर्ण करें। यदि रवीन्द्र मंच प्रबन्धन द्वारा किसी ठेकाकर्मी की शिकायत की जाती है तो संवेदक को उसे तुरन्त प्रभाव से बदलना होगा। संवेदक के किसी कर्मचारी द्वारा रवीन्द्र मंच की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है या संवेदक का कोई कर्मचारी अमानत में खयानत करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी और उसे रवीन्द्र मंच को हुये नुकसान की भरपाई करनी होगी।

18. सफल बोलीदाता द्वारा केन्टीन संचालन का कार्य का संचालन स्वयं को करना होगा। वह इसका उप ठेका अन्य किसी संस्था/व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। यदि ठेके की अवधि में बोलीदाता द्वारा केन्टीन संचालन के कार्य का उप ठेका किसी अन्य को देना पाया गया तो ठेका निरस्त कर जमा ठेका राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

19. ठेकेदार को हमेशा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजा सामान रखना होगा तथा उपलब्ध सामान को ढककर रखना होगा। यदि बासी सामान पाया गया तो उस सामान को विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जावेगा जिसके लिए विभाग द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही दी जावेगी। ठेकेदार को चाय, कॉफी इत्यादि डिस्पोजेबल कप/गिलास में सप्लाई करना होगा एवं क्राकरी पर्याप्त मात्रा में साफ व सुन्दर रखनी होगी। **<u>ठेकेदार द्वारा प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के केरी बैग या अन्य कोई भी प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं किया जावेगा।</u>**

20. वर्तमान में केन्टीन संचालित करने का स्थल **रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन स्थल पर** स्थित है। इस निर्धारित स्थल पर केन्टीन संचालन की व्यवस्था करनी होगी। अतः सामग्री का विक्रय निर्धारित स्थल पर ही किया जाये एवं सामग्री क्रय करने वाले को निर्देश प्रदान करे कि वह खाद्य सामग्री का मुख्य सभा भवन या अन्य स्थल पर नहीं लेकर जाये एवं केन्टीन के निर्धारित स्थल पर उपयोग करें। **<u>केन्टीन में उपयोग के लिए बर्तनों आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।</u>**

21. ओपन एयर थियेटर में कार्यक्रम आयोजित होने पर भी खाद्य सामग्री के उपयोग निर्धारित स्थल पर किया जाना चाहिए एवं ओपन एयर थियेटर के अन्दर सामान नहीं जाना चाहिए। इसके लिए दर्शकों का आपके द्वारा भी निर्देशित किया जायेगा।

22. केन्टीन स्थल पर ही सामग्री विक्रय की जायेगी एवं उसका उपयोग भी निर्धारित स्थल पर किया जायेगा सभा भवन या अन्य स्थल पर केन्टीन की खाद्य साम्रगी का उपयोग करते हुये कोई पाया तो केन्टीन संचालक की जिम्मदारी होगी। जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

23. रवीन्द्र मंच द्वारा केन्टीन स्थल पर उपलब्ध समस्त सामान जैसे रैक, काउन्टर, फर्नीचर या अन्य कोई सामान (यदि उपलब्ध कराना सम्भव हुआ) को जिस हालत में आपको उपलब्ध कराया जायेगा केन्टीन संचालन अवधि पूर्ण होने के उपरान्त पर उसी हालात में वापस लौटाना होगा किसी भी प्रकार की टूट फूट, नुकसान पर राशि की वसूली की जायेगी। केन्टीन स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

24. केन्टीन में विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की निर्धारित दरें निम्नानुसार रहेगीः–

चाय प्रति कप 150 एलमएल	10.00 रू.	समोसा एक नग (आलू मसाला)	15.00 रू
कॉफी, प्रति कप 150 एमएल	20.00 रू	कचौरी एक नग (दाल)	15.00 रू
चाय टी बैग 1 कप	15.00 रू	कोफता एक नग	15.00 रू
मिनरल वाटर बिसलेरी	एमआरपी	मिर्च, ब्रेड पकौडा एक नग	15.00 रू

25. बिस्कुट, शीतल पेय पदार्थ एवं अन्य पैक्ड खाद्य पदार्थ कम्पनी द्वारा निर्धारित दर (MRP) पर दिये जायेंगे लेकिन **प्लास्टिक का किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाये** । चाय, कॉफी एवं अन्य **खाद्य सामान के लिए कागज या कॉच के गिलास,प्लेट आदि ही उपयोग में लिये जायें।**

26. अन्य खाद्य पदार्थ प्रशासन की सहमति से निर्धारित दर पर रखे जा सकेंगें। केन्टीन से कोई भी सामान उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नही किया जावेगा एवं अन्य खाद्य पदार्थ प्रचलित बाजार दरों से अधिक दर पर विक्रय नही किये जावेगे।

27. केन्टीन से सामिष (मांसाहारी) खाद्य सामग्री या एल्कोहॉलिक पेय (शराब आदि) गुटखा, तम्बाकू एवं अन्य कोई भी प्रतिबन्धित सामान आदि विक्रय नही किये जा सकेंगे तथा केन्टीन से खाद्य सामग्री के अलावा अन्य कोई सामान विक्रय नही किया जा सकेगा। इस प्रकार की साम्रगी का विक्रय करना पाया गया तो तत्काल केन्टीन का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी।

28. सफल बोलीदाता को एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी, जिसमें आम दर्शक अपनी शिकायत दर्ज कर सके तथा यह पुस्तिका प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रबन्धक, रवीन्द्र मंच सोसायटी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष शिकायतो पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

29. ठेकेदार द्वारा विक्रय किये जाने वाले सामान की दरें एक बोर्ड पर लिखकर केन्टीन में लगानी होगी तथा इससे अधिक दरें चार्ज करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम शिकायत सही पाये जाने पर पर रू. 1000 शस्ति इसके बाद प्रति शिकायत रू. 2000.00/– शास्ति लगाई जा सकती है। अधिक शिकायत आने पर ठेका निरस्त भी किया जा सकता है।

30. किसी भी व्यक्ति/स्टाफ को उधार बिक्री करने पर वसूली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार द्वारा कोई भी सामान उधार में विक्रय किया जाता है तो उधार की वसूली का दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पेटे बकाया उधार की राशि वसूली की कोई जिम्मेदारी रवीन्द्र मंच प्रशासन की नही होगी।

31. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में राजकीय नियमों के अनुसार कर्मचारी रखने होगें, जो प्रशासन द्वारा निर्धारित वर्दी में होगें। केन्टीन में स्वच्छता रखनी होगी।

32. केन्टीन संचालन का समय सामान्यतया प्रातः 10.00 बजे से सॉय 8.00 बजे तक रखना होगा लेकिन आरक्षित कार्यक्रमों के अनुसार आवश्यकतानुसार इस समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

33. केन्टीन में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जायेगा एवं इसकी सुरक्षा के साथ–साथ **अग्निशमन यन्त्र** की व्यवस्था बोलीदाता को अनिवार्य रूप से करनी होगी। यदि केन्टीन मे सिलेण्डर फटने अथवा अन्य किसी कारण से किसी जान–माल की दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व बोलीदाता का होगा। इस सम्बन्ध में रवीन्द्र मंच का कोई दायित्व नहीं होगा।

34. **बोली में भाग लेने से पूर्व केन्टीन के लिए उपलब्ध स्थान का भली भांति निरीक्षण कर लिया जाये इसके बाद में कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नही कराया जावेगा।**

35. ठेकेदार द्वारा यदि राजकीय सम्पति को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है तो उसका भुगतान निविदादाता को स्वयं करना होगा अन्यथा धरोहर राशि में से या उसकी सम्पति में से वसूल किया जावेगा।

36. **केन्टीन में पानी व बिजली की सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। बिजली व्यय का भुगतान सब मीटर के वास्तविक उपभोग के आधार पर करना होगा। सब मीटर (इलेक्ट्रोनिक) संवेदक को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा। जल उपभोग के लिए रू. 250/– प्रतिमाह (रू. दो सौ**

पचास मात्र) ठेकेदार द्वारा रवीन्द्र मंच कार्यालय में पृथक से प्रतिमाह जमा कराने होंगे। जल उपभोग की 6 माह की राशि अग्रिम तौर पर जमा करानी होगी। विद्युत उपभोग की राशि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी अन्यथा कनेक्शन हटा दिया जायेगा।

37. निविदादाता को अनुमोदित सम्पूर्ण बोली राशि का नियमानुसार 2 प्रतिशत आयकर (Tax Collection at Source TCS) की राशि का भुगतान किराये की राशि के साथ ही कार्यालय में जमा कराना होगा।

38. केन्टीन संचालन हेतु किसी प्रकार के लाइसेंस/अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है तो वह लेना निविदादाता का दायित्व होगा।

39. ठेके पर किसी भी प्रकार का कर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा देय/बकाया रहते हैं तो उनको चुकाने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

40. केन्टीन में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। मुख्य सभा भवन के पास या अन्दर कोई सामग्री विक्रय नहीं की जायेगी। केन्टीन स्थल पर कचरे एवं डिस्पोजल आईटम को निर्धारित कचरा पात्र में डलवाना होगा इस हेतु दो बडे डस्टबीन (गीले व सूखे कचरे हेतु अलग–अलग रखने होगें तथा इस कचरे को निर्धारित स्थल पर ही डालना आवश्यक है। केन्टीन के अन्दर सफाई का कार्य बोलीदाता को करवानी होगी। कचरे को निर्धारित स्थल पर नहीं डाले जाने पर रू.200/– शास्ति लगाई जाकर वसूली की जायेगी।

41. प्रबन्धक, रवीन्द्र मंच सोसायटी एवं उनकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति अचानक/ कभी भी यह जाचॅ कर सकेगा कि ठेके के लिये निर्धारित शर्तो की पालना सफल बोलीदाता द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। यदि किसी भी शर्त की अवहेलना पाई जाती है तो यह अनुबन्ध भंग करना माना जावेगा, जिसके लिये बोलीदाता के विरूद्व शास्ति आरोपित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धक को होगा, जिसे बोलीदाता को मानना होगा।

42. माल एवं सेवा कर (GST) की राशि सफल बोली़दाता द्वारा नियमानुसार जमा करानी होगी । माल एवं सेवा कर की राशि समय पर एवं नियमानुसार जमा नहीं कराने की स्थिति में सफल बोली़दाता संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

43. बोली़दाता द्वारा केन्टीन संचालन का कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व छोड़ने अथवा नियमानुसार नहीं करने के फलस्वरूप ठेका कार्य निरस्त होने, उक्त दोनों स्थितियों में ही रवीन्द्र मंच द्वारा बोली़दाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य करवाया जावेगा एवं इस संबंध में किसी भी आर्थिक क्षति की पूर्ति बोली़दाता की मंच में किसी भी प्रकार की जमा राशि से कर ली जायेगी।

44. <u>बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त वर्णित शर्तो का सावधानी से अध्ययन करना चाहिये तथा सूचना में वर्णित शर्तो के बारे में कोई शंका होने की स्थिति में कार्यालय से उस संबंध में वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये। इस बारे में प्रबन्धक, रवीन्द्र मंच सोसायटी द्वारा की गई व्याख्या एवं इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।</u>

45. यदि ठेका अवधि के दौरान केन्टीन में नियुक्त कर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है, तो इसके लिये नियमानुसार जो भी भुगतान होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।

46. केन्टीन पर कार्य करने वाले कार्मिकों से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण संवेदक/एजेन्सी स्वयं रखेगी एवं रवीन्द्र मंच अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी को किसी रिकार्ड की जरुरत पड़ने पर वह आवश्यक रुप से उपलब्ध करवायेगा।

47. संवेदक द्वारा कोई भी **बाल श्रमिक** नहीं लगाया जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा किसी भी कार्मिक की अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

48. वर्कमैन कम्पैनसेशन एक्ट एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत सभी दायित्वों, हानि, क्लेम, क्षतिपूर्ति, व्यय, मांग आदि जिम्मेदारी सम्बन्धित संवेदक की होगी और किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम

अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, परिपत्र सूचना जो कि संवेदक के कर्मियों से सम्बन्धित है, की पालना भी अनुबन्धित संवेदक द्वारा की जावेगी।

49. प्रस्तुत निविदा की मान्य वैधता 90 दिवस तक होगी एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित की गई दरें रवीन्द्र मंच प्रबन्धन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए बोली खुलने की तिथि से तीन माह तक मान्य होंगी।

50. अन्य शर्ते समाान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरटीपीपी एक्ट एण्ड आरटीपीपी रूल्स के अनुसार रहेगी ।

51. बोली के संबंध में अपील अधिकारी, मुख्य शासन सचिव, कला, साहित्य एवं संस्कृति होगें ।

52. बोली से सम्बन्धित समस्त विवादों के निपटारे हेतु न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

53. प्रबन्धक, रवीन्द्र मंच सोसायटी,जयपुर को बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

रवीन्द्र मंच परिसर के ओपन एयर थियेटर की ओर स्थित केन्टीन के संचालन के कार्य करने के लिए बोली से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं बोली शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया हैं एवं सभी नियमों/शर्तों को मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम

पता एवं

फोन